<u>न्यायालयः द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग – 2 चंदेरी, जिला अशोकनगर</u> (पीठासीन अधिकारी: – साजिद मोहम्मद)

व्यवहारवाद कमांक-70ए/2016 संस्थित दिनांक- 17.08.2015 Filling no--- 235103002242015

1. बहादुर सिंह पुत्र कोमल सिंह जाति यादव पेशा खेती निवासी ग्राम छपरा तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर

....वादी

- 1. जिला वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल जिला अशोकनगर म०प्र०
- 2. रेन्जर, वनपरिक्षेत्र रेन्ज चन्देरी जिला अशोकनगर म0प्र0
- 3. डिप्टी रेंजर, रेंज चौकी इमलिया रेन्ज चंदेरी जिला अशोक नगर
- म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर,
 जिला अशोकनगर म0प्र
- **5.** पटवारी, ग्राम बेहटी तहसील चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

.....प्रतिवादीगण

----:// निर्णय //::----

(आज दिनांक:— 01.07.2017 को घोषित किया गया)

01— यह दावा वादी की ओर से ग्राम भीलरी तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क0 2/1/5 रकवा 1.000 है0 भूमि तथा भूमि सर्वे क0 2/3 रकवा 1.672 है0 भूमि (जिसे आगामी पदो में सुविधा की दृष्टि से विवादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया जावेगा) के स्वत्व, आधिपत्य एवं प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि में अवैध रूप से हस्तक्षेप करने से निषेधित करने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी क0 1 लगायत 3 वन विभाग की ओर से प्रतिवादा प्रस्तुत करते हुए उक्त विवादग्रस्त भूमि वन विभाग के बीट नानोन के अन्तर्गत कक्ष क0 पी 180 के अन्तर्गत आरक्षित वन भूमि घोषित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

02— वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि, ग्राम भीलरी तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क0 2/1/5 रकवा 1.000 है0 भूमि तथा भूमि सर्वे क0 2/3 रकवा 1.672 है0 भूमि वादी के स्वत्व एवं आधिपत्य की है तथा यही भूमि विवादग्रस्त भूमि है। उक्त विवादग्रस्त भूमि सर्वे क0 2/1/5 को वादी ने रिजस्टर्ड विकय पत्र द्वारा क्य कर कब्जा प्राप्त किया था तथा रिजस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर वादी का राजस्व प्रपत्रों में विधिवत नामातरंण हो चुका है और वादी उक्त विवादग्रस्त भूमि पर क्य दिनांक से काबिज होकर कास्त करता चला आ रहा है। विवादग्रस्त भूमि से अन्य लोगों की काबिल कास्त भूमि लगी हुई है और विवादग्रस्त भूमि से वन विभाग का कोई संबंध नहीं रहा है। प्रतिवादीगण वादी के स्वत्व एवं आधिपत्य की विवादग्रस्त भूमि में व्यवधान उत्पन्न करने लगे है और वादी के स्वत्वों को नकारते हुए कब्जा करने की धमकी देते है जिससे वादी शांति पूर्वक काबिज होकर कास्त नहीं कर पा रहा हैं।

03— प्रतिवादीगण वादी को बंद कराने की धमकी देते हैं एवं वादी के कृषि यंत्र जप्त करने की धमकी देते हैं। प्रतिवादीगण वन विभाग के कर्मचारी एवं अधिकारीयों ने दिनांक 30.06.15 को विवादग्रस्त भूमि पर आकर वादी को कब्जा करने की धमकी दी एवं विवादग्रस्त भूमि को वन विभाग की बताने लगे। वादी द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन कर वादग्रस्त भूमि स्थित ग्राम भीलरी तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क0 2/1/5 रकवा 1.000 हैं0 भूमि तथा भूमि सर्वे क0 2/3 रकवा 1.672 हैं0 भूमि पर वादी द्वारा स्वत्व एवं आधिपत्य की घोषणा प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि में अवैध रूप से हस्तक्षेप करने से निषेधित करने हेतु प्रस्तुत किया है।

04— प्रकरण में प्रतिवादी क0 4 व 5 उपस्थित हुए परन्तु प्रतिवादी क0 4 व 5 की ओर से पृथक से जबाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रतिवादी क0 1 लगायत 3 वन विभाग की ओर से जबाब दावे में व्यक्त किया कि ग्राम भीलरी जोकि वीट नानोन के अन्तर्गत आती है वह वन विभाग के कक्ष कमांक पी 180 के अन्तर्गत वन भूमि है जिसे वन विभाग के टोपो सीट के नक्शा एवं सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शा में वन भूमि को गुलाबी रंग से अंकित किया गया है जोकि प्रतिवाद पत्र का अंश है। वन विभाग में सर्वे कमांको का प्रचलन नहीं हैं। अपितु कक्ष कमांक प्रभावशील है। वन विभाग की भूमि को किसी भी व्यक्ति को कय करने का अधिकार नहीं है और अतः विकय पत्र वन विभाग के मुकाबले अवैधानिक है तथा उक्त भूमि राजस्व विभाग की भूमि न होकर वन विभाग की भूमि है जिसे राजस्व परिपत्रों में नामांकित नहीं किया जा सकता तथा कथित नामातरंण अवैधानिक है।

- 05— विवादग्रस्त भूमि पर कार्य आयोजना का वानकीय कार्य किया जाना प्रस्तावित हैं जिसे वादी नहीं करने देना चाहता है। यदि वन भूमि पर वानकिय कार्य नहीं हुआ तो वन विभाग को कोई क्षति होगी उसकी प्रतिपूर्ति करना संभव नहीं है। विवादग्रस्त भूमि वन भूमि है। अतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत दावा सव्यय निरस्त करने की प्रार्थना की है।
- 06— प्रतिवादी क0 1 लगायत 3 की ओर से प्रतिदावा प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया है कि वन विभाग के बीट नानोन में स्थित वन विभाग का कक्ष क0 पीएफ 180 स्थित है, जिसमें ग्राम भीलरी आती है तथा कक्ष क0 पीएफ 180 में गुलाबी रंग से अंकित एवं वन विभाग के सर्वे ऑफ इंडिया के अक्स में गुलाबी रंग से अंकित किया गया है जो प्रतिवादीगण के स्वामित्व आधिपत्य की भूमि है तथा उक्त भूमि के संबंध में किसी भी व्यक्ति को रिजस्ट्री विकय पत्र संपादित कराने का अधिकार नहीं है तथा कथित विकय पत्र वन विभाग के मुकाबले शुन्य है तथा उक्त भूमि पर मौके पर कोई कृषि कार्य नहीं किया जाता है बल्कि वन विभाग के द्वारा वानिकय कार्य किया जाता है। वादी को प्रतिवादीगण द्वारा कई बार विवादग्रस्त भूमि के वन भूमि होने के संबंध में एवं जी.पी.एस रीडिंग के बारे में समझाया गया किन्तु वादी उक्त भूमि को वन भूमि मानने को तैयार नहीं है, जिससे विवश होकर वन विभाग की ओर से यह प्रतिदावा विवादग्रस्त भूमि वन विभाग के बीट नानोन के अन्तर्गत कक्ष क0 पीएफ 180 के अन्तर्गत आरक्षित वन भूमि घोषित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।
- 07— वादी की ओर से प्रतिदावा का जबाब प्रस्तुत करते हुए समस्त प्रतिकूल अभिवचनों से इंकार किया गया है और व्यक्त किया कि वन विभाग वादी के स्वत्व स्वामित्व की भूमि को जबरन वन भूमि बता रहा है, जबिक वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि को रिजस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। दिनांक 11.08.2015 को वन विभाग द्वारा विवादग्रस्त भूमि पर आकर कोई जी.पी.एस. रीडिंग ली और न ही वादी जी.पी.एस रीडिंग में समझता है। वन विभाग वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि को जबरन वन भूमि बता रहा है। वन विभाग द्वारा प्रतिदाव के साथ न्याय शुल्क अदा नहीं किया गया था, बिना न्याय शुल्क के प्रतिदावा चलने योग्य नहीं है। अतः वन विभाग की ओर से प्रस्तुत प्रतिदावा सव्यय निरस्त कराये जाने की प्रार्थना की है।
- 08— उभयपक्ष के अभिवचन व प्रस्तुत दस्तावेंजो के आधार पर पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्नलिखित वादप्रश्नों की विरचना की गई जिनके निष्कर्ष विवेचना उपरान्त उनके सम्मुख अंकित किये गये :—

1.	क्या वादी ग्राम भीलरी तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क0 2/1/5 रकबा 1.000 हैक्टेयर भूमि तथा भूमि सर्वे क0 2/3 रकबा 1.672 हैक्टेयर भूमि का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है ?	
2	क्या प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर वादी के स्वत्व एवं आधिपत्य में अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है ?	प्रमाणित नहीं
3	क्या वादग्रस्त भूमि वन विभाग के बीट नानौन के अन्तर्गत कक्ष क्रमांक पी—180 के अन्तर्गत आरक्षित वनभूमि है ?	प्रमाणित
4	क्या प्रतिवादी वनविभाग प्रतिदावा पर न्यायशुल्क से मुक्त है ?	प्रमाणित
5.	सहायता एवं व्यय ?	पैरा 14 के अनुसार दावा निरस्त प्रतिदावा स्वीकार

____::<u>//सकारण निष्कर्ष//</u>::____

वाद प्रश्न क0 1 व 2 :-

09— वाद प्रश्न क0 1 व 2 का निराकरण साक्ष्य एवं तथ्य की पुनरावृत्ति रोकने हेतु उनका निराकरण एक साथ किया जा रहा है। वादी द्वारा ग्राम भीलरी तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क0 2/1/5 रकबा 1. 000 हैक्टेयर भूमि तथा भूमि सर्वे क0 2/3 रकबा 1.672 हैक्टेयर भूमि के संबंध में स्वत्व एवं आधिपत्य घोषित कराये जाने हेतू दावा न्यायालय में प्रस्तुत किया है तथा वादी की ओर से साक्षी भागीरथ, भीकम एवं बहादूर सिंह के आदेश 18 नियम 4 सीपीसी के शपथ पत्र भी न्यायालय में प्रस्तुत किये गये थे किन्तु वादी की ओर से न्यायालय में किसी भी साक्षी को परिक्षित न कराये जाकर वादी साक्ष्य समाप्त घोषित किये जाने का निवेदन किया था तथा विचार उपरांत न्यायालय द्वारा वादी साक्ष्य समाप्त घोषित की गई थी इस प्रकार वादी की ओर से अपने दावे को प्रमाणित करने हेतु न्यायालय के समक्ष कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई थी जिससे वादी यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि वादी ग्राम भीलरी तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क0 2/1/5 रकबा 1. 000 हैक्टेयर भूमि तथा भूमि सर्वे क0 2/3 रकबा 1.672 हैक्टेयर भूमि का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है। जहां की वादी विवादग्रस्त भूमि के संबंध में अपना स्वत्व एवं आधिपत्य प्रमाणित करने में असफल रहा है वहां यह भी प्रमाणित

नहीं होता है कि प्रतिवादीगण द्वारा विवादग्रस्त भूमि पर वादी के स्वत्व एवं आधिपत्य में हस्तक्षेप किया जा रहा है। अतः वाद प्रश्न क0 1 एवं 2 का निराकरण प्रमाणित नहीं के रूप में किया जाता है।

वाद प्रश्न क0 3 :--

- 10— वादप्रश्न क्0 1 की विवेचना के आधार पर विवादग्रस्त भूमि वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की होना प्रमाणित नहीं है, वहीं प्रतिवादी क0 1 लगायत 3 वन विभाग की ओर से प्रस्तुत प्रतिदावे में विवादित भूमि को वन विभाग के बीट नानोन के अन्तर्गत कक्ष क0 पी 180 के अन्तर्गत आरक्षित वन भूमि होना व्यक्त किया है जिसके संबंध में डिप्टी रैंजर हनीफउल्ला प्र0सा01 ने उसके न्यायालयीन कथनो में विवादग्रस्त भूमि को वन भूमि होना एवं प्रतिवाद पत्र एवं काउंटर क्लेम के समर्थन मे मौके का पंचनामा दिनांक 11.08.2015 का प्र.डी.1 प्रस्तुत किया है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा वन विभाग की मूल टोपो शीट प्र.डी.2 प्रस्तुत की जिसकी सत्य प्रतिलिपि प्र.डी.2सी है एवं सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शे की सत्य प्रतिलिपि प्र.डी. 3 प्रस्तुत की है।
- 11— हनीफउल्ला प्र0सा01 ने उसके न्यायालयीन कथनो में बताया कि उसके द्वारा दिनांक 11.08.2015 को मौके पर जाकर विवादग्रस्त भूमि की जीपीएस रीडिंग ली थी और विवादग्रस्त भूमि ग्राम भीलरी के पास वन विभाग के कम्पाटमेन्ट पी180 के अन्तर्गत आती है, तथा ग्राम भीलरी वन विभाग के पी180 के अन्तर्गत स्थित है जो बीट नानोन के अन्तर्गत आता है तथा उक्त साक्षी ने बताया कि जब वह सब रैंज डुगासरा में पदस्थ था उस समय विवादग्रस्त भूमि पडत पड़ी हुई थी। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 6 में बताया कि जब वह विवादग्रस्त भूमि पर जीपीएस रीडिंग लेने गया था उस समय उक्त भूमि पर बहादूर सिंह काबिज था। साक्षी ने स्वतः कहा कि विवादग्रस्त भूमि वन भूमि है।
- 12— हनीफ उल्ला प्र0सा01 ने उसके प्रतिपरीक्षण के पैरा 7 में उक्त साक्षी ने बताया कि यह बात सही है कि उसके द्वारा बहादूर सिंह का कब्जा हटवाने के संबंध में वन विभाग की ओर से कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया था तथा बहादुर सिंह जिस भूमि पर काबिज है उसके पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दिक्षण में किसी का खेत नहीं है। साक्षी ने स्वतः कहा कि विवादग्रस्त भूमि के चारो ओर जंगल लगा हुआ है। पंचनामा प्र.डी.1, टोपो शीट की सत्य प्रतिलिपि प्र.डी.2सी एवं सर्व ऑफ इंडिया के नक्शे की सत्य प्रतिलिपि प्र.डी.3 के अनुसार भी विवादग्रस्त भूमि वन विभाग के कक्ष क0 पी180 के अन्तर्गत आरक्षित वन भूमि होना दर्शाया है। प्रतिवादी वन विभाग की ओर से विवादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजो के

खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे दर्शित हो की विवादग्रस्त भूमि वन विभाग की भूमि नहीं है। ऐसी स्थिति में विवादग्रस्त भूमि को वन विभाग की भूमि न होने के संबंध में वादी द्वारा कोई चुनौती न दिये जाने एवं प्रतिवादी वन विभाग की ओर से प्रस्तुत पंचनामा प्र.डी.2, टोपो शीट की सत्य प्रतिलिपि प्र.डी.2सी एवं सर्वे ऑफ इंडिया के अक्स की प्रतिलिपि प्र.डी. 3 प्रस्तुत की है, जिसमें विवादित भूमि वन विभाग के कक्ष क0 पी180 के अन्तर्गत आरक्षित वन भूमि होना दर्शित है। अतः वाद प्रश्न कमांक 3 का निराकरण प्रमाणित के रूप में किया जाता है।

वाद प्रश्न क0 4 :-

13— वादीगण की ओर से उनके प्रतिदावे के जबाब में यह आपत्ति की है कि प्रतिवादी वन विभाग का प्रतिदावा पर न्यायालय शुल्क अदा न किये जाने से प्रतिदावा चलने योग्य नहीं है तथा वन विभाग किसके आदेश से न्यायालय शुल्क से मुक्त है ऐसा कोई आदेश प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया है। यद्यपि यह बात सही है कि प्रकरण में प्रतिवादी वन विभाग का काउन्टर क्लेम न्यायालय शुल्क से मुक्त होने के संबंध में कोई आदेश प्रतिवादी वन विभाग की ओर से प्रस्तुत नहीं किया है, किन्तु म0प्र0शासन विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क0 17(ई)34(1)05/21-ब {2} न्यायालय फीस अधिनियम 1870का स0-7 की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा सक्षम अधिकारिता के न्यायालयो के समक्ष फाईल किये जाने के मामलो में देय न्यायालय फीस में छूट प्रदान की गई है। म०प्र० शासन की उक्त अधिसूचना के आलोक में प्रतिवादी वन विभाग शासन का ही एक विभाग होने के कारण न्यायालय शुल्क अदा किये जाने से छूट प्राप्त है अतः उक्त अधिसूचना के आलोक में वाद प्रश्न क0 4 का निराकरण प्रमाणित के रूप में किया जाता है।

वादप्रश्न क0 5:— सहायता एवं व्यय

14— उपरोक्तानुसार किये गये विधिगत एवं तथ्यगत विशलेषण के उपरांत अभिप्राप्त निष्कर्ष के आधार पर वादी अपना वाद प्रमाणित करने में असफल रहा है। किन्तू प्रतिवादी क0 1 लगायत 3 वन विभाग यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि विवादग्रस्त भूमि वन विभाग के बीट नानौन के अन्तर्गत कक्ष क्रमांक पी—180 के अन्तर्गत आरक्षित वनभूमि है। फलतः प्रतिवादी क0 1 लगायत 3 की ओर से प्रस्तुत प्रतिदावा स्वीकार कर निम्न आशय की डिकी पारित की जाती है:—

- यह घोषित किया जाता है कि विवादग्रस्त भूमि वन विभाग के बीट नानौन के अन्तर्गत कक्ष क्रमांक पी-180 के अन्तर्गत आरक्षित वन भूमि है।
- 15- प्रकरण की परिस्थितियों में उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय वहन करेगे।
- 16— अभिभाषक शुल्क की राशि भुगतान के प्रमाणीकरण के आदेश नियत 523 म0प्र0 सिविल न्यायालय नियमानुसार संगणित की जावे या जो वास्तविक भुगतान किया गया हो या जो न्यून हो व्यय मे जोडा जावे।

तद्नुसार आज्ञप्ति बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, मेरे निर्देशन में टंकित किया गया। दिनांकित घोषित कर किया गया।

साजिद मोहम्मद द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0